DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001

शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

:: सत्र 2010–11 में विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों में PET– 2010 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन काउंसिलिंग की सूचना ::

प्रदेष में स्थित समस्त शासकीय (Government), स्वषासी–स्ववित्तीय (Autonomous & Self Finnancing) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं निजी (Private) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित छत्तीसगढ़ कोटा (C.G. Quota - 75%) में सत्र 2010–11 में पी.ई.टी. – 2010 के मेरिट के आधार पर प्रवेष के लिये संस्थाओं/ब्रांचों का आबंटन (Allotment) ऑन लाइन काउंसिलिंग द्वारा होगा । इसका कार्यक्रम निम्नानुसार है । प्रवेष/आबंटन हेतु अभ्यर्थी का छ.ग. का मूलनिवासी होना तथा पी.ई.टी. नियम पुस्तिका के बिन्दु 2.6 के अनुसार पात्र होना अनिवार्य है (पी.ई.टी.–10 में शून्य प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेष हेतु पात्र नहीं है):

ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम

स.क्र.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	Website: http://mkcl.biz/cgdte में ऑन लाइन रजिस्ट्रेषन एवं ऑप्षन भरना (Online Registration & Option Filling)	09 जुलाई 2010 सुबह 11.00 बजे	20 जुलाई 2010 रात्रि 12.00 बजे
2	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण	21 जुलाई 2010 (रविवार को DVC खुला रहेगा)	04 अगस्त 2010
3	प्रथम चरण की सीट आबंटन की सूची जारी करना (Provisional Allotment)	08 अगस्त 2010 (समय अपरान्ह 2.00 बजे)	
4	आबंटित संस्था में प्रवेष लेने का कार्य	09 अगस्त 2010	14 अगस्त 2010
5	संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों की जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना	16 अगस्त 2010	
6	द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये ऑन लाइन सहमति देना/रजिस्ट्रेषन एवं ऑप्षन भरना	17 अगस्त 2010	19 अगस्त 2010
7	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में दस्तावेजों का परीक्षण (केवल नये आवेदकों के लिये)	20 अगस्त 2010	21 अगस्त 2010
8	द्वितीय चरण का आबंटन (Allotment)	23 अगस्त 2010	
9	आबंटित संस्था में प्रवेष लेने का कार्य	25 अगस्त 2010	27 अगस्त 2010

ऑन लाइन रजिस्ट्रेषन करने एवं ऑप्षन भरने से पहले कृपया पी.ई.टी. – 2010 की नियम पुस्तिका का ठीक से अध्ययन कर लेवें एवं यह भी सुनिष्चित कर लें कि आप प्रवेष हेतु पात्र हैं ।

1. **(A) Online Registration :** ऑन लाईन पंजीकरण (Online Registration) जहॉ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्रों (Help Centres) में किया जा सकता है । ऑन लाईन रजिस्ट्रेषन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये । 12वीं की अंकसूची (प्राप्तांकों को भरने के लिये), पी.ई.टी. – 2010 की अंकसूची (रोल नंबर डालने के लिये), बैंक चालान की प्रति (चालान संबंधी जानकारी भरने के लिये) एवं पी.ई.टी.– 2010 की नियम पुस्तिका (संस्था एवं ब्रांच का प्राथमिकता क्रम देने के लिये)। अतः इन्हें देखने (सहायता) के लिये अपने साथ में लेकर जायें । संस्था एवं ब्रांच की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी गई है ।
ऑन लाईन रजिस्ट्रेषन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे ।
सबसे पहले उम्मीदवार http://**mkcl.biz/cgdte** नामक वेबसाइट में जायें । यह वेबसाइट महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेषन लिमिटेड की सहायता से ऑन लाईन काउंसिलिंग के लिये तैयार की गई है । इसके होम पेज पर कई जानकारियॉ दी गई हैं । जैसे :– समस्त संस्थाओं की सूची, पिछले वर्ष का कटऑप रैंकिंग, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी, आदि । इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें ।

1 (अ) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु **[New Registration]** को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देषों को ध्यान से पढ़े । फिर **[Proceed]** बटन को क्लिक करें । दिये गये नियम एवं शर्तो (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़े, यदि ये शर्ते आपको मान्य है तो **[Accept]** बटन पर क्लिक करें । **[Reject]** करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे । यदि आपने त्रुटिवष **[Reject]** कर दिया है तो पुनः **[New Registration]** में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ।

1 (ब) अगले स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो सेलेक्ट Domicile Status में Chhattisgarh Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें, । इसके पश्चात् अपना सी.जी. पी.ई.टी.– 2010 का रोल नंबर तथा जन्मतिथि (**DOB**) एंटर करें । उसके पष्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें । इससे आपको रजिस्ट्रेषन नंबर (Login ID एवं Password) मिलेगा । इसे सुरक्षित नोट कर लें तथा गुप्त रखें ।

1 (स) इसके पश्चात् स्क्रीन के बाये तरफ के मेनु **Registered Candidate Login** में क्लिक करें । अब जो स्क्रीन खुलेगा उसमें अपना Login ID एवं Password एंटर करें एवं Login में क्लिक करें । यहॉ आपको Change Password में अपना Password बदलने के लिये कहा जायेगा । यहॉ अपना पासवर्ड बदल लें । पासवर्ड 08 digit का होना चाहिये एवं शब्दों एवं अंकों से मिलकर (Alpha-Numeric) बना होना चाहिये । ID एवं Password को किसी भी को भी न बतायें, इसकी गोपनीयता भंग होने की स्थिति में इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी । इसे याद रखें क्योंकि इसकी आवष्यकता संस्था में प्रवेष लेते समय भी रहेगी ।

1 (द) इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपके द्वारा पी.ई.टी. का फार्म भरते समय दी गई जानकारी के अनुसार आपकी व्यक्तिगत जानकारियॉ (Personal Details) दी हुई होंगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य चाही गई जानकारियॉ भरनी होंगी जैसे :– माता का नाम, मातृभाषा, धर्म, परिवार की आय, क्षेत्र, पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

1 (ई) यदि आप किसी पॉलीटेक्निक से 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण हैं तो Special Reservation के कॉलम में टेक्निकल स्ट्रीम में Yes करें अन्यथा No करें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

1 (फ) आपके पी.ई.टी. – 2010 के भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के प्राप्तांक एवं रैंक प्रदर्षित होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है ।

1 (ग) शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में –
यदि आप 12वीं के आधार पर प्रवेष ले रहे हों तो HSc रेडियो बटन में क्लिक करें ।
निर्धारित स्थान पर 12वीं का रोल नंबर एवं बोर्ड का नाम तथा दिये गये विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । 12वीं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित, भौतिक एवं रसायन विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

यदि आप डिप्लोमाधारी है तो डिप्लोमा में क्लिक करें ।

दस्तावेज परीक्षण की तिथि तक 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना आवष्यक है एवं निर्धारित स्थान पर उसके अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

1 (घ) चालान संबंधी जानकारी – सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/– (रु. पॉच सौ केवल) की राषि का चालान **भारतीय स्टेट बैंक** के देष भर में स्थित किसी भी शाखा में "संचालक, तकनीकी षिक्षा, छत्तीसगढ़" के नाम से **संचालित खाता क्रमांक – 31073343567** में जमा करना अनिवार्य है । इस कॉलम में भारतीय स्टेट बैंक की जिस ब्रांच में राषि जमा की गई है, उसका नाम तथा जमा करने की तिथि अंकित की जानी है । भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक में राषि जमा नहीं करना है । बैंक चालान का प्रारूप पी.ई.टी. नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक – 79 में दिया गया है परंतु पी.ई.टी. नियम पुस्तिका में जो बैंक चालान का प्रारूप दिया गया है उसमें रु. 10,000/– अग्रिम फीस का उल्लेख है । इस प्रारूप में रु. 10,000/– के स्थान पर रु. 500/– एवं अग्रिम फीस के स्थान पर काउंसिलिंग फीस सुधार कर इसका उपयोग किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा http://mkcl.biz/cgdte से नया बैंक चालान फार्म भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है । **चालान फार्म में जो Registration ID/Ref. No.में अपना पी.ई.टी.–2010 रोल नंबर/ओवर ऑल मेरिट रैंक डाले ।** इसकी चार प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं कॉलेज कॉपी को जिस संस्था में प्रवेष लेना है वहॉ जमा करना तथा Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है । **चालान ही जमा करना है, डी.डी. नहीं बनाना है ।**

1. **(B) विकल्प (Option) भरना –**

1 **B** (अ) विकल्प भरने के लिये किसी एक कोर्स/ब्रांच का नाम चुने एवं क्लिक करें । इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्षित होंगें । जिस–जिस संस्था में प्रवेष लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं, उनके सामने के चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । आप जितना चाहें उतनी संस्थाओं का नाम दे सकते हैं (अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें) । इसके पश्चात् **[Add Selected Options]** को क्लिक करें । चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्षित हो जायेंगे । अब दूसरे पाठ्यक्रम को क्लिक करें इसको संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची प्रदर्षित होगी । जहॉ–जहॉ प्रवेष लेने के इच्छुक हैं उनको चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । पुनः **[Add Selected Options]** बटन दबायें, चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्षित सूची में जुड़ जायेगी । यही प्रक्रिया अन्य कोर्स/ब्रांच के लिये करें । **आप कितने ही ब्रांच एवं कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं ।** चूंकि प्रथम चरण में भरे हुये विकल्प के आधार पर ही द्वितीय चरण में **sliding/upgradation** की अनुमति है एवं द्वितीय चरण हेतु विकल्प बदलने की अनुमति नहीं है । अतः आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्रांच एवं संस्था का ऑप्षन दें । **इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद** तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

टीप :– 1. चूंकि काउंसिलिंग प्रक्रिया लगभग 01 माह तक चलेगी एवं इस बीच में कुछ नयी संस्थायें/ब्रांच AICTE/CSVTU की अनुमति से प्रारंभ हो सकती है । अतः इन संस्थाओं/ब्रांचों को भी विकल्प में शामिल किया गया है एवं आप इसका भी विकल्प दे सकते हैं । परंतु यदि इन संस्थाओं/ब्रांचों की अनुमति दस्तावेज परीक्षण तिथि की अंतिम तिथि तक नहीं मिल पाती है तो इन संस्थाओं/ब्रांचों में आबंटन नहीं किया जायेगा । ऐसे संस्थाओं की सूची होम पेज पर अलग से दी गई है ।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित 05 संस्थाओं जिनका विवरण पी.ई.टी.–2010 नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक – 44 में दिया हुआ है की सीटों का आबंटन भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पी.ई.टी.–2010 के मेरिट के आधार पर होगा । अतः यदि आप इन संस्थाओं में से किसी संस्था में प्रवेष लेना चाहते हैं तो इन संस्थाओं का भी विकल्प भर सकते हैं । परंतु इन संस्थाओं में से किसी संस्था में आबंटन होने पर इसकी रिर्पोटिंग पहले संचालनालय तकनीकी षिक्षा,रायपुर में किया जाना है जहॉ से इस हेतु संबंधित संस्था के नाम एक पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही संबंधित संस्था में प्रवेष हेतु जाना है ।

3. ट्यूषन फी वेव्हर (TFW) की सीटें समस्त शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध है परंतु निजी एवं स्वषासी–स्ववित्तीय संस्थाओं में एआईसीटीई द्वारा ट्यूषन फी वेव्हर (TFW) की स्वीकृति दी जाने पर

ही लागू होगी । इसकी जानकारी पृथक से वेबसाईट में दी जायेगी । कृपया पी.ई.टी. नियमपुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक – 54, बिन्दु 2.14 का अवलोकन कर लें ।

4. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है । किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नही भरा गया है । सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था/ब्रांच का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें । जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे ।

विकल्प का प्राथमिकता क्रम (Priority) देना :–

1 **B** (ब) आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं की ब्रांचों सहित सूची दिखाई देगी । अब जिस ब्रांच एवं संस्था में आप पहले प्रवेष लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम (Choice) देने हेतु उसके सामने **[Set Preference]** में क्लिक करें । इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा । अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (Choice) का चयन करें । उसका क्रम – 2 आ जायेगा इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें । सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्षित हो जायेंगे । सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं । ऐसा करने के लिये **[Reset My Preference]** में क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे । अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का दूसरा क्रम दें । आप कितने ही ब्रांच एवं कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं । जब आप आष्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

(टीप :– 1. आपको संस्था एवं ब्रांच का आबंटन आपके पी.ई.टी. – 2010 के मेरिट के आधार पर होगा, परंतु यह हो सकता है जो प्राथमिकता क्रम आपने भरे हैं वे आपका मेरिट अन्य से कम होने के कारण आपको न मिले । अतः कृपया ऑप्षन का क्रम ऐसा भरें जिससे आपको संस्था/ब्रांच आबंटन होने की संभावना हो । पिछले वर्ष 2009–10 का विभिन्न संस्थाओं/ब्रांच के कट ऑफ मेरिट की जानकारी वेबसाईट में दी गई है इससे आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि आपके रैंक पर आपको कौन सी ब्रांच/संस्था मिलने की संभावना है । यद्यपि इस वर्ष स्थिति भिन्न रहेगी । यह भी ध्यान रखें कि यदि आपने विकल्पों का चयन तो किया है परंतु उनका क्रम नहीं दिया है तो उन विकल्पों के बारें में आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा जिनके क्रम आपने नहीं दिये हैं । केवल उन्हीं विकल्पों पर विचार किया जायेगा जिनका क्रम आपने दिये है ।

2. ध्यान रहे कि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये पुनः विकल्प नहीं भराये जायेंगे अपितु प्रथम चरण में भरे गये विकल्प के आधार पर ही आबंटन होंगे । अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में शामिल होने के लिये केवल अपनी सहमति देनी होगी । अतः आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक विकल्प भरें ।)

1 **B** (स) इसके पष्चात् स्क्रीन पर **Application cum Option Form** दिखेगा, इसमें आपका फोटो भी रहेगा । इसका प्रिंट ले लें, यदि फोटो न आया हो तो प्रिंट लेने के पश्चात् फोटो लगा लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जाना है । यदि प्रिंट लेने के पष्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव किया जा सकता है । यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा । **Version No. Application cum Option Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया है । **दिनांक 20 जुलाई 2010 सायं 6.00 बजे तक** आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं । परंतु इसके पष्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी । जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम (**Version**) ही मान्य किया जायेगा । इसके पूर्व के विकल्प नहीं । विकल्प बदलने के लिये आप पुनः **Registered Candidate Login** में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टेब Shortlist Your Option अथवा Set Your Preference में जायें । यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल क्रम बदलना है तो Set Your Preference में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले Shortlist Your Option में जायें तत्पष्चात् Set Your Preference में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस **Application cum Option Form** जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जायें । अंतिम **Version** क्रमांक वाला

विकल्प फार्म को लेकर आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे वही विकल्प मान्य होगा । **Application cum Option Form** की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा करें । साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें ।

टीप :— आप रजिस्ट्रेषन एवं ऑप्षन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा **MKCL** के सहायता केन्द्रों **(Help Centre)** में जाकर मदद पाई जा सकती है । **MKCL** के अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :—

स.क्र.	**MKCL** के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स.क्र.	**MKCL** के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	ग्लोबल मल्टीमीडिया, हनुमान मंदिर के पास, डी.सी. रोड, अंबिकापुर	सरगुजा	07774—203096 98268—77024 97536—45205	16	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेषन, गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स, पैलेस रोड, सारंगढ़	रायगढ़	07768—233902 93009—60024 93291—52626
2	आदर्ष एकेडमी ऑफ आई.टी., सत्या हीरोहोन्डा शोरूम के पास, मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा, बिलासपुर	बिलासपुर	07752—412207 93003—20846	17	डाल्फिन कम्प्यूटर एजुकेषन, चक्रधर नगर चौक, सरला विला के पास, रायगढ़	रायगढ़	07762—222999 97531—65888 90398—22411
3	डी.टेक. कम्प्यूटर्स, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, राजकिषोर नगर, बिलासपुर	बिलासपुर	07752—427708 92298—28788	18	आई.टी. इलेवन, फाफाडीह, मेन रोड, रायपुर	रायपुर	0771—4059696 94252—08313
4	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी. विप्र बी.एड. कॉलेज के पास जेवरा बाड़ा, बिलासपुर	बिलासपुर	96174—99156 98279—50105 92292—43357	19	आई.टी. टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तात्यापारा चौक, रायपुर	रायपुर	0771—2329910 93017—05599
5	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी., ओजस्वी नर्सिंग होम के सामने, गुलमोहर वाटिका, रूद्री रोड,, धमतरी	धमतरी	93028—32896 98264—32896	20	आई.टी. जीनियस प्रा.लि. पासपोर्ट ऑफिस के उपर, तीसरा तल, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर	रायपुर	0771—4069861 96173—72319
6	हिमांषु इंफोटेक, प्रथम तल, 108 न्यू सिविक सेंटर, गीत टॉकीज के पीछे, भिलाई	दुर्ग	0788—2352445 99268—44199	21	षिवांता टेक्नालॉजी,, प्रथम तल, कृष्णा प्लाजा, बिन्दा सोनकर स्कूल के सामने,अष्वनी नगर, रायपुर	रायपुर	0771—4058990 98267—00068
7	कम्प्यूटर इंफो सॉल्यूषन, शॉप नं. —75,सेक्टर —10, ए मार्केट, भिलाई	दुर्ग	0788—4031312 99932—51100 90390—39995	22	आसैक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेषनल, ऑपोसिट राजकुमार कॉलेज, चौबे कॉलोनी, रायपुर	रायपुर	0771—4061441 98271—44077
8	पेस आई.टी. सिंधी कॉलोनी, डॉ. सिद्दीकी क्लिनिक के उपर, स्टेषन रोड, गुरूद्वारा के पास, दुर्ग	दुर्ग	0788—4013474 98271—71227	23	अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कस्तूरबा महिला मंडल, पुराना रेस्ट हाउस, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744—409682 98261—90095
9	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेषन, सांई मंदिर के सामने, सिविल लाईन्स,कसारीडीह, दुर्ग	दुर्ग	0788—2326540 93023—53905 93021—87300	24	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेषन, दिग्विजय कॉलेज रोड, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744—409555 93295—51000
10	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेषन, जैन मंदिर रोड, जगदलपुर	बस्तर	07782—226632 94252—61196	25	सी—टेक कम्प्यूटर एजुकेषन, बालेराय स्टेडियम के सामने, मेनरोड, जांजगीर—चांपा	जांजगीर—चांपा	07819—244288 98261—96610
11	सेट कम्प्यूटर, भाटिया कॉलोनी, शासकीय हास्पिटल के सामने, पत्थलगॉव	जशपुर	07765—234000 94241—83777	26	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड, नारायणपुर	नारायणपुर	94255—18385
12	शर्मा कम्प्यूटर्स, करबला चौक, जषपुर	जशपुर	07763—223600 07728—231396 94252—52975	27	नेशनल कम्प्यूटर्स, चर्च के पास, कांकेर	कांकेर	98278—87087 94252—61817
13	विद्या कम्प्यूटर एजुकेषन सोसायटी दीप मीडिया, एकता चौक, कवर्धा	कवर्धा	07741—232772 98936—01234 94076—07454	28	ट्रैक कम्प्यूटर, साडा काम्प्लेक्स, ए—12, बस स्टेण्ड, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856—252324 94252—58546
14	राहे कम्प्यूटर, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा	कोरबा	07759—226144 81035—23771	29	नाईस—टेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखंड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास, मनेन्द्रगढ़	कोरिया	07771—241927 93015—87039

स. क्र.	MKCL के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स.क्र.	MKCL के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
15	एजुकेषन प्लानेट, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा	कोरबा	07759–228705 98263–12327	30	इंडियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पिंजा धर्मषाला के पास, स्टेषन रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723–222121 98264–26982

टीप :– एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र केवल आपको फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे । विकल्प आपको अपनी इच्छानुसार भरना है । सहायता केन्द्रो का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/– प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/– प्रति पेज का प्रिटिंग शुल्क देय होगा ।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवष्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से अपने निकटस्थ दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा ऑन लाईन आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 तक खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाष रहेगा) । **दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार हैः–**

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774–220609	10	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762–222737
2	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260289	11	शासकीय पॉलीटेकनिक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741–232636
3	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260258	12	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा, रूमगरा, बाल्को नगर, कोरबा	कोरबा	07759–215696
4	शासकीय पॉलीटेकनिक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753–264963	13	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723–224818
5	शास. इंजी. महा. जगदलपुर ,धरमपुरा नं– –2, जगदलपुर	बस्तर	07782–229436	14	संचालनालय तकनीकी षिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771–2421376
6	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, जगदलपुर, धरमपुरा नं.–2, जगदलपुर	बस्तर	07782–229230	15	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक रायपुर, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771–2423045
7	शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722–237618	16	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक राजनांदगॉव, तहसील कार्यालय, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744–226830
8	शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788–2323548	17	शासकीय पॉलीटेकनिक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820–234010
9	शासकीय पॉलीटेकनिक, जांजगीर, खोखरा भाटा, जांजगीर–चांपा	जांजगीर	07817–222026				

दस्तावेज परीक्षण हेतु निर्धारित निम्नानुसार पी.ई.टी. ओवर ऑल रैंक के आधार पर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में उपस्थित होना है :

दिनांक	पी.ई.टी. ओवर ऑल रैंक से	पी.ई.टी. ओवर ऑल रैंक तक
21 जुलाई 2010	1	2000
22 जुलाई 2010	2001	4000
23 जुलाई 2010	4001	6000
24 जुलाई 2010	6001	8000
25 जुलाई 2010	8001	10000
26 जुलाई 2010	10001	12000
27 जुलाई 2010	12001	14000
28 जुलाई 2010	14001	16000
29 जुलाई 2010	16001	18000
30 जुलाई 2010	18001	20000
31 जुलाई 2010	20001	22000
01 अगस्त 2010	22001	24000
02 अगस्त 2010	24001	26000
03 अगस्त 2010	26001	28000
04 अगस्त 2010	28001	30241

जो अभ्यर्थी किसी कारण वष निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं हो सके वे अपने रैंक से बाद की तिथि में भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होकर दस्तावेज का परीक्षण करवा सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण करवाने पर ही आबंटन हेतु विचार किया जायेगा । जिन्होंने दस्तावेज परीक्षण नहीं करवाया है, उनके आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर दिया जायेगा ।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिष्चित कर लें कि आपके पास सारे आवष्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लियें हैं । चूंकि अब ऑन लाइन काउंसिलिंग हो रही है, अतः पी.ई.टी. नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 74–75 में दी गई काउंसिलिंग फार्म को भरने की आवष्यकता नहीं है, उसके स्थान पर **एप्लीकेषन कम ऑप्षन फार्म का प्रिंट लेकर जाना अनिवार्य है,** जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज – सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेषन कम ऑप्षन फार्म की 01 प्रति (01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें)।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र (01 जुलाई 2010 को अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट है ।)
3. 12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित, भौतिक एवं रसायन विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । **पूरक अभ्यर्थी प्रवेष हेतु पात्र नहीं है ।**
4. पी.ई.टी. – 2010 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) ।
5. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक में। (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा ।)
6. भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में संचालक, तकनीकी षिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से संचालित खाता क्रमांक **31073343567** में काउंसिलिंग फीस रु. 500/– जमा करने की बैंक चालान की **DTE** कॉपी जमा करना है । पी.ई.टी. नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक – 79 में जो बैंक चालान का जो प्रारूप दिया गया है उसमें रु. 10,000/– अग्रिम फीस का उल्लेख है । इस प्रारूप में **रु. 10,000/– के स्थान पर रु. 500/–** तथा **अग्रिम फीस के स्थान पर काउंसिलिंग फीस** सुधार कर इसका उपयोग किया जा सकता

है अथवा वेबसाइट से नया बैंक चालान फार्म भी डाउन लोड कर भी उपयोग किया जा सकता है । **बिना रु. 500/– का चालान जमा किये आवेदन मान्य नहीं होगा** । काउंसिलिंग फीस सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जमा करना है इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है ।

7. जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेषन कम ऑप्षन फार्म में फोटो प्रिंट नहीं हुआ हो उन्हें 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है ।

आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –

8. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा ।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** । यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेष निरस्त किया जा सकता है ।
10. यदि अभ्यर्थी सैनिक(S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स)
11. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप – 4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
12. यदि अभ्यर्थी विकलांग (PH) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःषक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।

टीप : विकलांग छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं ब्रांच का विकल्प भरें जिनके अध्ययन करने हेतु उन्हें उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया हैं/उपयुक्त हैं ।

13. Technical Stream के लिये 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/मार्कषीट ।

निम्न दस्तावेजों की आवष्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है परंतु इनकी आवष्यकता संस्थानों में प्रवेष लेते समय रहेगी –

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 12वीं के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेष तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेष निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी । उसी प्रकार यदि आपके पास सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं टेक्निकल स्ट्रीम का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**class**) को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा । यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, केटेगरी, क्लास, लिंग आदि मे पी.ई.टी. फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है । जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर लॉक कर दिया जायेगा जिसके बाद उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा । लॉक करने के पश्चात् **Acknowledgement cum Option Form** की 02 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं दोनों प्रतियों में छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी । **DVC** द्वारा आपको **Acknowledgement cum Option Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें ।

टीप :– यदि आपको किसी एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई षिकायत हो तो इसकी लिखित षिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।

3. **प्रथम चरण की सीट आबंटन**

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निष्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था/ब्रांच आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन उनके पी.ई.टी. के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा । आबंटन सूची इसी वेबसाइट पर देखा जा सकती है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो **SMS** के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । **SMS** प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।

(ब) आप अपने **Login** में जाकर अपने एप्लीकेषन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है । इसकी 02 कॉपी करा लें तथा इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेष प्राप्त करें ।

4. **आबंटित संस्था में प्रवेष लेना –**

आबंटित संस्था में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेष लेना अनिवार्य है । यदि इस अवधि में प्रवेष नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेष के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों का जांच होगा । अतः यह सुनिष्चित कर लें कि संस्था में प्रवेष के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवष्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है । आबंटन होने के पश्चात् छात्रों के संस्था में प्रवेष के समय भी संस्था द्वारा उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी, यदि प्रवेष के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र की किसी त्रुटि से अथवा भूलवष गलत प्रवेष हो गया है तो प्रवेष रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा। **जो अभ्यर्थी संस्था में प्रवेष नहीं लेंगे उन्हें पी.ई.टी. की द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परंतु वे अभ्यर्थी जो कही प्रवेष ले चुके हैं और द्वितीय चरण में बेहतरी (upgrade) के लिये शामिल होना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति रहेगी,** चूंकि प्रवेषित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जाती रहेगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेष सुनिष्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेष कन्फर्म करवा लें ।

5. **प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट में अपलोड करना –**

प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2010 के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेष नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची प्रदर्षित की जायेगी ।

6. **द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये पुराने आवेदकों को ऑन लाईन सहमति (Willingness)/नये आवेदकों को रजिस्ट्रेषन एवं विकल्प भरना –**

रिक्त सीटों की जानकारी के आधार पर यदि कोई छात्र जो प्रथम चरण में कही प्रवेष ले चुका है एवं पुनः बेहतरी (Upgrade) करने के लिये अपना संस्था/ब्रांच परिवर्तन करना चाहता है उसको इसके लिये वेबसाइट में अपनी सहमति **(Willingness)** देनी होगी, परंतु विकल्प एवं उसका क्रम वही रहेंगे जो उन्होंने प्रथम चरण में भरे थे । इसमें बदलाव की अनुमति नहीं है । सहमति देने के लिये अभ्यर्थी को पुनः Registered Candidate Link में जाना पड़ेगा एवं अपना **Login ID** एवं **Password** एंटर करना पड़ेगा । इसके पश्चात् आपसे सहमति पूछा जायेगा, यदि आप हॉ (**Yes**) करेंगे तो आपकी पुरानी वाली सीट निरस्त हो जायेगी एवं आपका रजिस्ट्रेषन पुनः आबंटन के लिये हो जायेगा । प्रवेषित छात्र जैसे ही द्वितीय चरण के लिये सहमति **(Willingness)** रजिस्टर करेंगे उनकी सीट को रिक्त मान लिया जायेगा एवं उनकी पहली वाली सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी । अतः इस कारण से रिक्त हुई सीटों में प्रवेष के इच्छुक अभ्यर्थी भी अपनी सहमति **(Willingness)** दे सकते हैं । **जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में आबंटन के बावजूद कहीं प्रवेष नहीं लिये हैं, उन्हें द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः रजिस्ट्रेषन की अनुमति नहीं दी जायेगी, और न ही उन्हें सीट आबंटित की जायेगी।** प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों को कही आबंटन नहीं मिला हो, उन्हें पुनः सहमति हेतु रजिस्ट्रेषन करने की आवष्कता नहीं है, वे स्वमेव ही आबंटन हेतु विचार किये जायेंगे । जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेषन ही नहीं करा पाये हों वे द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेषन करा सकते हैं इन्हे प्रथम चरण के अनुसार पूरा आवेदन सह विकल्प फार्म भी भरना होगा ।

टीप : 1. जो छात्र प्रथम चरण में किसी संस्था में प्रवेष ले चुके हैं एवं द्वितीय चरण में उन्हें अन्य संस्था आबंटित होती है । ऐसे छात्रों से उनके द्वारा जमा की गई कुल फीस में से रु. 1000/– की कटौती संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष समस्त राषि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जानी है । इसके अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की जानी है ।

2. कोई छात्र जो उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी ऑनलाईन सहमति देनी होगी । संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा ।

7. द्वितीय चरण हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में दस्तावेज का परीक्षण कराना

यह कार्य केवल उन्ही अभ्यर्थियों को (बिन्दु – 2 के अनुसार) कराना है जो प्रथम बार रजिस्ट्रेषन करवा रहे हैं, जो अभ्यर्थी पहले ही प्रथम चरण में दस्तावेज परीक्षण करवा चुके हैं उन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण करवाने की आवष्यकता नहीं है।

8. द्वितीय चरण का सीट आबंटन

द्वितीय चरण में सहमति देने वाले अभ्यर्थियों, नये अभ्यर्थियों एवं पहले से आबंटन से वंचित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची जारी की जायेगी । जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है एवं **sms** के द्वारा भी सूचित किया जायेगा ।

9. आबंटित संस्था में प्रवेष लेने का कार्य

द्वितीय चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेष लेना अनिवार्य है (बिन्दु – 6 के अनुसार) । निर्धारित अवधि में प्रवेष नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । जो अभ्यर्थी पूर्व में कही प्रवेष ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेष लेने की अनुमति है । परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

10. यह काउंसिलिंग कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित हो सकती है जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी ।

11. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी षिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

12. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी http://mkcl.biz/cgdte एवं www.cgdteraipur.ac.in में दी गई है । आवष्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771–2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274–72366 पर संपर्क किया जा सकता है ।

13. कृपया वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें ।

संचालक

तकनीकी षिक्षा, छत्तीसगढ